

धर्मशाला-176215


31 मई, 2021

**अधिसूचना**

स्वास्थ्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. NHM-HP-CCM084-B/2021-E22712-20883 दिनांक 28.05.2021 के अनुसार प्रदेश स्थित सभी शैक्षणिक संस्थानों के कर्मियों को COVID-19 वैक्सीनेशन के पंजीकरण हेतु फ्रंट लाइन वर्कर (FLW) घोषित किया गया है। माननीय कुलपति महोदय ने उक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालय में अंगीकार करने का अनुमोदन प्रदान किया है।

2. उक्त अधिसूचना के अनुलग्नक-A में संलग्न जारी किये जाने वाले प्रमाण-पत्र को विश्वविद्यालय के कर्मियों के लिए माननीय कुलपति महोदय ने निम्न प्रकार जारी करने का निर्देश दिया है:-

क्र.सं.	जारी करने वाले प्राधिकारी	लाभार्थी जिसके पक्ष में प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा
1.	कुलसचिव	1. विश्वविद्यालय के संबंधित स्कूलों के अधिष्ठाताओं के पक्ष में 2. कुलपति सचिवालय के कर्मियों के पक्ष में 3. कुलसचिव कार्यालय के कर्मियों के पक्ष में 4. वित्त विभाग के कर्मियों के पक्ष में 5. परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के कर्मियों के पक्ष में
2.	विश्वविद्यालय के संबंधित स्कूलों के अधिष्ठाता	संबंधित स्कूल के अंतर्गत सेवारत शैक्षणिक, शिक्षकेतर एवं आउटसोर्स कर्मिगण



(हेम राज)

कुलसचिव

पृष्ठांकन : समसंख्या

दिनांक : 31 मई, 2021

निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई हेतु प्रति अग्रेषित :

1. मुख्या चिकित्सा अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को- अधोहस्ताक्षरी के साथ दिनांक 31.05.2021 को दूरभाष पर चर्चा के क्रम में सूचनार्थ।
2. मानद निदेशक, हि.प्र.के.वि., सप्त सिंधु परिसर, देहरा, जिला कांगड़ा।
3. समन्वयक, हि.प्र.के.वि., अस्थायी शैक्षणिक खण्ड, शाहपुर, जिला कांगड़ा।
4. विभिन्न स्कूलों के सभी अधिष्ठाता, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
6. विश्वविद्यालय में स्थापित विभिन्न अध्ययन पीठों के सभी चेयर प्रोफेसरगण।
7. वित्त अधिकारी, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला।
8. परीक्षा नियंत्रक, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला।
9. विभिन्न विभागों के सभी विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
10. विभिन्न केन्द्रों के सभी निदेशक, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
11. उप पुस्तकालय अध्यक्ष, हि.प्र.के.वि., अस्थायी शैक्षणिक खण्ड, शाहपुर, जिला कांगड़ा।
12. पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रो. एस.आर. रंगनाथन पुस्तकालय, सप्त सिंधु परिसर, देहरा, जिला कांगड़ा।
13. निदेशक, कंप्यूटर सेंटर, हि.प्र.के.वि., धौलाधार परिसर, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।
14. सिस्टम एनालिस्ट, हि.प्र.के.वि., धर्मशाला।
15. सहायक निदेशक(राजभाषा), हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कैंप कार्यालय, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।
16. जनसंपर्क अधिकारी, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कैंप कार्यालय, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।
17. कुलपति, हि.प्र.के.वि. के निजी सचिव- कृपया माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
18. विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं शिक्षकेतर कर्मिगण।



(कुलसचिव)

**Annexure A**

**To Whom It May Concern**

Certified that Sh./Smt \_\_\_\_\_ is an employee of \_\_\_\_\_ Department within the age limit of 18 years to 44 years and shall be entered as Front Line Workers/ Prioritised Group in COWIN portal for the purpose of COVID Vaccination only. I endorse the following details as given below:

1. Aadhaar No:-
2. Name (as recorded in the Aadhaar Card):-
3. ID Card No:-
4. Age:-
5. Gender:-
6. Address:-

Details of the Workplace

1. Name of the Office:-
  2. Full Address (Office) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Pin Code:- \_\_\_\_\_

It is hereby certified that the details given here n above are correct as per the records of Sh./Smt. \_\_\_\_\_.

Signature of FLW

Designation :- \_\_\_\_\_

Name :- \_\_\_\_\_

Mobile Number :- \_\_\_\_\_

Signature of verifying Authority

Designation :- \_\_\_\_\_

Mobile Number :- \_\_\_\_\_